

12 अप्रैल 2024

आदेश आयकर निवाप (एट)

वार्षिक अधिनियम द्वारा संस्थान की जांच

न्यास का नाम : इन्डियन फूड फिल्म फाउण्डेशन
Name of the trust : Indian Food Film Foundation
पठा : दो लाख रुपये
मुद्रा : रुपये-१०००००००

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA(1)(b) के अन्तर्गत ग्रन्ति

न्यास पिलेट / संस्था के द्वारा दिनांक 23-04-2004 को उत्तर संस्था द्वारा दिनांक 03-08-04 द्वारा घोषित किया गया था। यह आदेश एजीडब्ल्यू हेतु ब्राह्मणी समय तीमा (23-04-04) के भीतर दाखिल किया गया है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A(a) के अधीन इसे गर आयेदत पत्र रजिस्टर में न्यास / संस्था का नाम बाइ.एन.एस. ३८८५ द्वारा पंजीकृत किया गया है।
3. न्यास / संस्था के पिलेट (docx) में कोई परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया अस्तित्वात्रिकायिक रूप से न्यासलय के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा और इसकी सूचना इन कार्यालय को राखदाता दी जायेगी।
4. आयकर अधिनियम 1961, की धारा 12 AA के अधीन पंजीकरण न्यास या संस्था की आय को अपने द्वारा पूर्ण नहीं देता है आदेश द्वारा एजीकरण की क्षमता रीढ़ाचिक भजूरी दी गयी है। इस पंजीकरण के छोटे पूर्ण न्यास या संस्था की आय को करदेशी का प्रश्न - नियोग अधिकारी द्वारा संस्था की अधिकारियों द्वारा यानुनी एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुचलन के बाधार पर परीक्षण एवं नियोग के प्रक्रिया - द्वारा किया जायेगा।
5. आयकर अधिनियम 1961, की धारा 12 AA के अधीन एजीकरण दागदाता को धारा ८० जी के अन्तर्गत काटोंकी या अपने आप कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।
6. इस प्रमाणपत्र की न्यास या संस्था के रायिता गिरेश के बारे में कर द्वारा काटोंकी न प्रदान की जाये एवं अक्षर नहीं बनाया जायेगा।
7. न्यास या संस्था ने रायाई लेखा संख्या (PAN) के लिए आयेदत नहीं किया है तो उसी रायाई संख्या के लिए आदेश प्रदान होया और उन्होंने को संगत एवं वार्तार में रायाई संख्या उत्प्रेक्ष करना होया।
8. अधिनियम के द्वारी दी गई सुझाव के अन्दर प्रत्येक वर्ष न्यास या संस्थान को विवरणी दाखिल करनी होगी।

दिनांक: 02-09-04

प्रतिलिपि 1.) २३ रोप्य २.) उत्ति बा. गि (द्वि) रोप्य १.१. मुद्रा.

(रायतकर कुपार)

आयकर निवाप (एट), मुद्रा

(प. द. यादव)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय),
कृति आयकर निवाप (एट), मुद्रा